

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकला जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रकरण संख्या - 136/2022

पीठासीन अधिकारी - राजकेश मीना (आर.ए.एस.)

उनवान

- 1 किशन पिता नन्दा माली उम्र वयस्क निवासी मालीखेडा (मगनपुरा) तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 2 गोदू पिता नन्दा माली उम्र वयस्क निवासी मालीखेडा (मगनपुरा) तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 3 मुछाउ पत्नि नन्दा माली उम्र वयस्क निवासी मालीखेडा (मगनपुरा) तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 4 मन्नालाल पिता नन्दा माली उम्र वयस्क निवासी मालीखेडा (मगनपुरा) तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 5 रामसुख पिता सुरजमल माली उम्र वयस्क निवासी मालीखेडा (मगनपुरा) तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 6 लादु पिता सुरजमल माली उम्र वयस्क निवासी मालीखेडा (मगनपुरा) तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा

—————(प्रार्थीगण)

बनाम

- 1 रामनाथ पिता छोगा गुर्जर उम्र वयस्क निवासी मालीखेडा (मगनपुरा) तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 2 हणूता पिता छोगा गुर्जर उम्र वयस्क निवासी मालीखेडा (मगनपुरा) तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 3 देवा पिता उंकार गुर्जर उम्र वयस्क निवासी मालीखेडा (मगनपुरा) तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 4 पाचू पिता रामस्वरूप गुर्जर उम्र वयस्क निवासी मालीखेडा (मगनपुरा) तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 5 भूमिधारी तहसीलदार फूलियाकला जिला भीलवाड़ा

—————(अप्रार्थीगण)

उपस्थित—

प्रार्थी अधिवक्ता— श्री विजय पाराशर

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128, रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढी आराजीयात

निर्णय

दिनांक - 05.05.2023


प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय में दिनांक 23.08.2022 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि बाके ग्राम मालीखेडा (मगनपुरा) पटवार मण्डल मालीखेडा भू.अ.नि. धनोप तहसील फूलियाकला में उसके खाते की कृषि भूमि खतीनी संख्या 18 के आ.न. 319 रकबा 0.01 हैक्टर, भूमि स्थित है। उक्त वादप्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडोसीगण/सहखातेदारान हैं। अवशेष रहे सहखातेदारान धन्ना पिता कालू माली, लक्ष्मण पिता कालू माली व सोनाथ पिता कालू माली का देहान्त हो जाने से उन्हे प्रार्थनापत्र बतौर पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा विह्न नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिससे कि प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय में दिनांक 23.08.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगणों को जारी नोटिस बाद तामील रिकार्ड पर उपलब्ध है। किन्तु सूचित होने के उपरान्त भी विपक्षीगण नियत सुनवाई पर वारंते अपना पक्ष रखने, हाजिर नहीं होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि वादप्रस्त भूमि प्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमि है और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का हकदार है। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर बाके ग्राम मालीखेडा (मगनपुरा) पटवार मण्डल मालीखेडा भू.अ. नि. धनोप तहसील फूलियाकला में उसके खाते की कृषि भूमि खतीनी संख्या 18 के आ.न. 319 रकबा 0.01 हैक्टर, भूमि की पत्थरगढी बसामत्तत पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक धनोप को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पडोसियान को उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेगे। मौके पर विवाद होने, किसी अन्य न्यायालय से आराजीयात पर स्थगन होने की दशा में तथा मौके पर खड़ी फसल होने की स्थिति में पत्थरगढी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जावे। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार फूलियाकला को भिजवाई जावे। खर्चा फीसकेन अपना अपना वहन करे। पत्रावली फीसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 05.05.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(राजकेश मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
फूलियाकला जिला भीलवाड़ा